ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड सख्या–1, सैक्टर के0पी0–IV, ग्रेटर नौएडा सिटी
जनपद गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0 201301

पत्रांक :सम्प / GHS / 2018 / 3640 | FTS-79644 दिनांकः– 18/12/2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 113वी बोर्ड बैठक के मद संख्या 113 / 24, में ग्रुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत स्टाफ हाउसिंग हेतु आवंटित भूखण्डों के परिसर में आवंटित भूखण्ड / भवन के सबलेसियों को उनकी यूनिट बंद होने या फिर किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट होने अथवा अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित होने अथवा टैक्नोलोजी के बदलाव के कारण स्टाफ में अत्याधिक कमी के दृष्टिगत ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के सबलेसियों को इकाई / संस्था के स्टाफ से बाहर के व्यक्ति को भूखण्ड / भवन की सब लीजडीड निष्पादन होने के उपरान्त ही हस्तांतरण की अनुमति निम्न शर्तों के साथ लागू की जाती हैः–

1. ग्रुप हाउसिंग योजना में स्टाफ योजना के अन्तर्गत आवंटित इकाई / संस्था द्वारा (In Case land is Alloted for Flatted Development) कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया हो। यदि ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन Plotted development हेतु किया गया हो तो संबंधित स्टाफ हाउसिंग ईकाई / संस्था द्वारा आन्तरिक विकास पूर्ण कर कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया हो।
2. सबलीज डीड निष्पादन के उपरान्त ही भूखण्डों / भवनों का हस्तांरतण अनुमन्य होगा।
3. ग्रुप हाउसिंग योजना में स्टाफ योजना के अन्तर्गत आवंटित इकाई / संस्था के सदस्यों को प्रथम हस्तांतरण (ईकाई से किसी स्टाफ को प्रथम बार किया गया हस्तांतरण) में कोई हस्तांतरण शुल्क देय नही होगा। तत्पश्चात आवंटी द्वारा भवन का हस्तांतरण, यदि उसी इकाई के कर्मचारी के पक्ष में किया जाता है, तो ग्रुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत समय –समय पर निर्धारित हस्तांतरण शुल्क देय होगें, परन्तु यदि भवन का हस्तांतरण इकाई से बाहर के व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है, तो हस्तांतरण शुल्क तत्समय प्रचलित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट की दर से भवन के क्षेत्रफल पर आगणित कुल मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से देय होंगे।
4. भूखण्डों / भवनों का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन हेतु अनुमन्य होगा।
5. ग्रुप हाउसिंग योजना में स्टाफ योजना के अन्तर्गत आवंटित इकाई / संस्था द्वारा उनके स्टाफ / सबलीजि को किसी अन्य को विक्रय किये जाने के संबंध में 30 दिन के भीतर अनापत्ति जारी करनी होगी यदि संबंधित इकाई /संस्था उनके स्टाफ/ सबलीजि को भूखण्ड / भवन के हस्तांतरण हेतु अनापत्ति जारी नही करता है तो ऐसी स्थिति में भूखण्ड / भवन का हस्तांतरण अनुमन्य नही होगा।
6. भूखण्ड / भवन यदि किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक है, तो हस्तांतरण सम्बन्धित वित्तीय संस्था की अनुमति / एन0ओ0सी के उपरान्त होगा।

उक्त नीति केवल तीन वर्ष यथा 2018–19, 2019–2020, 2020 – 2021 तक की अवधि तक ही लागू रहेगी। उक्त नीति प्राधिकरण की 113वी बोर्ड बैठक की मद संख्या 113 / 24, दिनांक 04.12.2018 में मा0 बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी की जा रही है, जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय

/

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. **स्टाफ आफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।**
2. **विशेष कार्याधिकारी।**
3. **उप महाप्रबन्धक / प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेब साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।**
4. **सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
5. **सम्बन्धित आवंटी समितियों को सूचनार्थ।**
6. **गार्ड फाईल।**

17.12.18

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी